

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग  
जयपुर राजस्थान

क्रमांक: डीसी/2020/103

दिनांक:- 19.06.2020

सहायक औषधि नियंत्रक,  
NDNP मुख्यालय, जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़,  
श्रीगंगानगर, कोटा, सीकर, जोधपुर,  
नागौर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर,  
राजकीय विश्लेषक (DTL), जयपुर।

विषय:- 16 वाहन चालको के रिक्त पदों के विरुद्ध REXCO के माध्यम से सेवायें लिये जाने की स्वीकृति बाबत।


सन्दर्भ:- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 25(01)चिस्वा/2/2018 दिनांक 11.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सहायक औषधि नियंत्रकों के कार्यालयों में बजट 2210-06-104-(01)-[01]-41 संविदा व्यय मद में 16 वाहन चालको के रिक्त पदों के विरुद्ध REXCO के माध्यम से सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवायें कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार नियमित नियुक्ति होने अथवा पद भरने अथवा 31.03.2021 जो भी पूर्व हो तक, नियमानुसार लिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आईडी सं. 152000422 दिनांक 28.05.2020 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

अतः निम्नांकित कार्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित संख्या अनुसार वाहन चालको को रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम व जिला	वाहन चालक
1	औषधि नियंत्रक, मु0 जयपुर	4
2	सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर	1
3	सहायक औषधि नियंत्रक, अलवर	1
4	सहायक औषधि नियंत्रक, हनुमानगढ़	1
5	सहायक औषधि नियंत्रक, श्रीगंगानगर	1
6	सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा	1
7	सहायक औषधि नियंत्रक, सीकर	1
8	सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर	1
9	राजकीय विश्लेषण (DTL), जयपुर	1
10	सहायक औषधि नियंत्रक, नागौर	1
11	सहायक औषधि नियंत्रक, अजमेर	1
12	सहायक औषधि नियंत्रक, बीकानेर	1
13	सहायक औषधि नियंत्रक, भरतपुर	1
	कुल	16


  
(राजा राम शर्मा)  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान जयपुर

कमांक:डीसी/2020/103

दिनांक:-19.06.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन<sup>3/5</sup> सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
2. बजट शाखा कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय।
3. जनरल मैनेजर (सुरक्षा) राज0 एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लि0 राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि पूर्व में आप द्वारा 06 वाहन चालक उपलब्ध कराये गये थे किन्तु वित्त विभाग के आदेशानुसार 10 और वाहन चालक उपरोक्त सारणीनुसार कार्यालयों में लगवाये जाने का श्रम करावें।
4. प्रभारी सर्वर को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(राजा राम शर्मा)  
औषधि नियंत्रक  
राजस्थान जयपुर